महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान - म.प्र.

पहल

ई–समाचार पत्र (मासिक) – इकसठवां संस्करण (माह जनवरी, 2021)

➔ ''पहल'' के इस संस्करण में .....

1. अपनी बात ....
2. अब प्रदेश में स्व–सहायता समूह चलाएंगे ''साथी'' बाजार
3. स्वामित्व योजना एक परिचय
4. अनलॉक के मायने
5. नदी पुर्नजीवन से किसानों को मिला पानी
6. ड्रिप पद्धति से सब्जी व फलों की खेती से अर्जित की डेढ़ लाख की आय – कृषक शंभूदयाल सुमन की सफलता की कहानी
7. जेंडर बजटिंग
8. काव्य रचना – ''मौसम और योग''
9. वायु प्रदूषण से हो रही बीमारी एवं बचाव
10. सफलता की कहानी
11. आजीविका मिशन जिसने हमे अपने पैरो पे चलना सिखा दिया सुश्री रोशनी नागले जिला बैतूल का सफरनामा
12. ग्राम पंचायत सुरपाला जनपद पंचायत गोगावां जिला खरगोन
13. काव्य रचनाएं

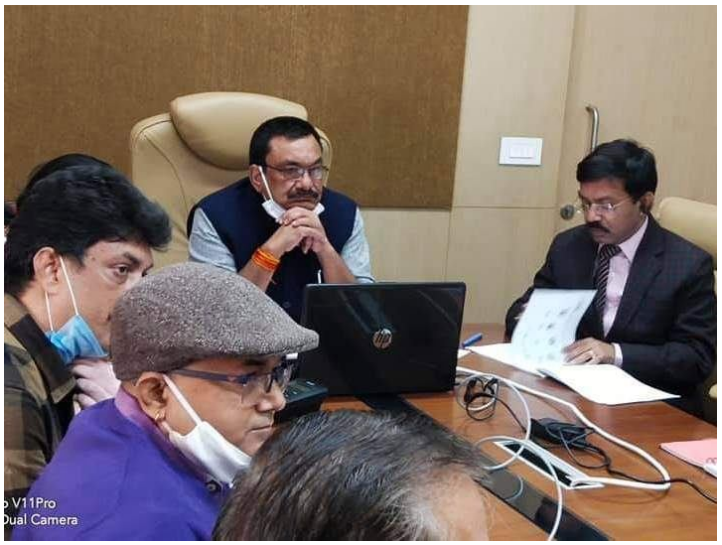

प्रकाशन समिति

संरक्षक एवं सलाहकार
श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव (IAS)
अपर मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

प्रधान संपादक
श्री संजय कुमार सराफ,
संचालक,
महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास
एवं पंचायतराज संस्थान–म.प्र., जबलपुर

सह संपादक
श्रीमती सुनीता चौबे,
उप संचालक, म.गां.रा.ग्रा.वि.पं.रा.स.–म.प्र., जबलपुर

ई–न्यूज के सम्बन्ध में अपने फीडबैक एवं आलेख छपवाने हेतु कृपया इस पते पर मेल करें–**mgsirdpahal@gmail.com**
Our official Website : www.mgsird.org, Phone : 0761-2681450 Fax : 761-2681870

Designed & Developed By : Mr. Jay Kumar Shrivastava, Programmer, MGSIRD&PR, JABALPUR

अपनी बात...

''पहल'' मासिक ई–न्यूज लेटर का इकसठवां संस्करण का प्रकाशन किया जा रहा है, जो वर्ष 2021 का प्रथम मासिक संस्करण है।

इस संस्करण में माननीय मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया द्वारा भारत सरकार की नवीन परियोजना ''साथी'' की बैठक ली गयी, जिसे **''अब प्रदेश में स्व–सहायता समूह चलाएंगे ''साथी'' बाजार''** समाचार आलेख के रूप में शामिल किया गया है।

इसके साथ–साथ **''स्वामित्व योजना एक परिचय''**, **''अनलॉक के मायने''**, **''नदी पुर्नजीवन से किसानों को मिला पानी''**, **''ड्रिप पद्धति से सब्जी व फलों की खेती से अर्जित की डेढ़ लाख की आय – कृषक शंभूदयाल सुमन की सफलता की कहानी''**, **''जेंडर बजटिंग''**, **''काव्य रचना – 'मौसम और योग'''**, **''वायु प्रदूषण से हो रही बीमारी एवं बचाव''**, **''सफलता की कहानी''**, **''आजीविका मिशन जिसने हमे अपने पैरो पे चलना सिखा दिया सुश्री रोशनी नागले जिला बैतूल का सफरनामा''**, **''ग्राम पंचायत सुरपाला जनपद पंचायत गोगावां जिला खरगोन''** एवं **''काव्य रचनाएं''** आदि आलेखों को शामिल किया गया है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि 'पहल' का यह संस्करण आपको अत्यंत रूचिकर, नवीन उपयोगी एवं आवश्यक जानकारी प्रदान करने वाला रहेगा।

शुभकामनाओं सहित।

संजय कुमार सराफ
संचालक

अब प्रदेश में स्व–सहायता समूह चलाएंगे ''साथी'' बाजार

माननीय मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया द्वारा भारत सरकार की नवीन परियोजना ''साथी'' की बैठक ली गयी, जिसमें पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव, श्री मनोज श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, कमिश्नर मनरेगा, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मनरेगा के साथ कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग, एमपी एग्रो, एमपी कॉन एवं नाफेड के अधिकारियो द्वारा भाग लिया गया।

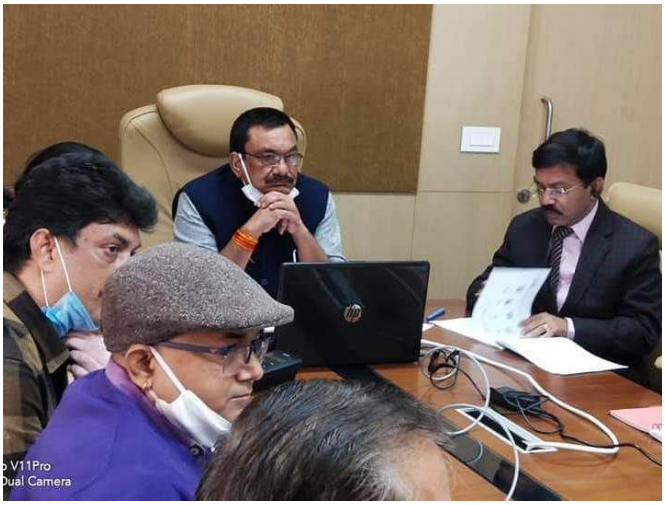

माननीय मंत्री श्री सिसोदिया जी द्वारा बताया गया मध्यप्रदेश देश का प्रथम राज्य है, जो ''साथी'' परियोजना को क्रियान्वित करेगा। परियोजना से ग्रामीण क्षेत्र में स्व सहायता समूह को उपार्जन, भण्डारण, प्रसंस्करण एवं विपणन हेतु प्रशिक्षित किया जावेगा एवं उनकी प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना में सहयोग भी किया जावेगा।

नाफेड द्वारा विकासखंड स्तर पर ''साथी'' बाजार स्थापित किया जाएंगे जिसमें स्व सहायता अपने उत्पादों का विपणन कर सकेंगे। राज्य के उत्पादों को राष्ट्रीय पहचान मिलेगी एवं परियोजना अंतर्गत उचित ब्रांडिंग एवं विपणन से राज्य के उत्पादों को पहचान मिलेगी, उपज का उचित मूल्य स्व–सहायता समूह को प्राप्त होगा एवं ऑनलाइन विपणन सुविधा भी स्व–सहायता समूह को उपलब्ध कराई जावेगी।

स्व–सहायता समूह अब आलू भण्डारण के लिए कोल्ड स्टोरेज खोलेंगे एवं प्याज एवं लहसुन का भी भण्डारण करेंगे। नाफेड द्वारा समर्थन मूल्य पर दालों की भी खरीदी होगी एवं उसका प्रसंस्करण किया जाकर अन्य राज्यों में बेचा जाएगा।

माननीय मंत्री श्री सिसादिया जी द्वारा निर्देश दिए गए कि शीघ्र ही इस सम्बन्ध में परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाए एवं ''साथी'' परियोजना का क्रियान्वयन किया जाए।

स्वामित्व योजना एक परिचय

भारत सरकार ने केंन्दीय क्षेत्र की योजना ''स्वामित्व'' का कार्यान्वयन करने का निर्णय लिया है।यह योजना पंचायती राज मंत्रालय (Ministry of Panchayati Raj), राज्यों के पंचायती राज विभाग (Panchayati Raj Department), राज्य विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग (Servey of India), के सहयोग से चलाई जा रही है।

इस योजना के तहत ड्रोन (Drone) और अन्य नवीनतम तकनीकी की सहायता से रिहाइशी भूमि का सीमांकन कर ग्रामीण क्षेत्रों में एकीकृत संपत्ति सत्यापन (Integrated Property Validation) की एक व्यवस्था स्थापित की जाएगी।इसके तहत गॉव की सीमा के भीतर आने वाली प्रत्येक संपत्ति का डिजिटल रूप नक्शा बनाया जाएगा और प्रत्येक राजस्व खंड की सीमा का निर्धारण किया जाएगा।

गांवों में बसे हुए ग्रामीण क्षेत्रों में घरों में रहने वाले गांव के गृहस्वामियों को 'अधिकार अभिलेख' उपलब्ध कराया जाएगा, जो उन्हें बैंकों से ऋण लेने और अन्य वित्तीय लाभों के लिए अपनी संपत्ति को वित्तीय संपत्ति के रूप में उपयोग करने में सक्षम बनाएगा। इसके अलावा, यह ग्राम पंचायतों की कर संग्रह और मांग मूल्यांकन प्रक्रिया का सुदृढ़ बनाने के लिए संपत्ति अैर परिसंपत्ति रजिस्टर के अपडेशन को भी सक्षम करेगा। इस प्रकार, संपत्ति धारकों का कानूनी रिकॉर्ड और उनके आधार पर गृहस्वामियों को 'संपत्ति अभिलेख' जारी करने से ऋण और अन्य वित्तीय सेवाओं की खरीद के लिए ग्रामीण आवासीय संपत्तियों का मौद्रिकीकरण सुविधाजनक बनेगा। यह संपत्ति कर के स्पष्ट निर्धारण का मार्ग भी प्रशस्त कर सकता है, जो उन राज्यों में सीधे ग्राम पंचायतों को प्राप्त होगा जहां ये विकसित हैं।

व्यक्तिगत ग्रामीण संपत्ति के सीमांकन के अलावा, अन्य ग्राम पंचायत और सामुदायिक संपत्ति जैसे गांव की सड़कें, तलाब, नहरें, खुले स्थान, स्कूल, आंगनवाड़ी, स्वास्थ्य उप–केंन्द्र आदि का भी सर्वेक्षण किया जाएगा और जीआईएस मानचित्र बनाए जाएंगे। इसके अलावा, ये जीआईएस नक्शे और स्थानिक डेटाबेस ग्राम पंचायतों और राज्य सरकार के अन्य विभागों द्वारा किए गए विभिन्न कार्यो के लिए सटीक कार्य अनुमान तैयार करने में भी मदद करेंगे। इनका उपयोग बेहतर–गुणवत्ता वाली ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) तैयार करने के लिए भी किया जा सकता है।

स्वामित्व योजना के उद्धेश्य

1. प्रदेश के ग्रामीण नागरिकों को ऋण और अन्य वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए अपनी संपत्ति को एक वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में प्रयोग करने में सक्षम बनाते हुए उन्हें वित्तीय स्थिरता प्रदान करना।
2. ग्रामीण नियोजन के लिए सटीक भूमि अभिलेखों का निर्माण करना।
3. संपत्ति कर का निर्धारण, जो उन राज्यों में सीधे ग्राम पंचायतों को प्राप्त हेागा जहां ये विकसित हैं या, राज्य कोषागार को प्राप्त का अध्ययन करना।
4. सर्वेक्षण की अवसंरचना और जीआईएस नक्शों का निर्माण जिनका उपयोग किसी भी विभाग द्वारा अपने उपयोग के लिए किया जाना ।
5. जीआईएस मानचित्रों का उपयोग करते हुए बेहतर गुणवत्ता वाली ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) तैयार करने में सहयोग देना।

6. संपत्ति संबंधी विवादों और कानूनी मामलों का अध्ययन करना।
7. ग्रामीण भारत के लिए एक एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करना है।

योजना कियान्वयन की प्रकियाः

इस योजना के तहत सबसे पहले वन्य क्षेत्र व कृषि भूमि से आबादी के इलाके को अलग करते हुए आबादी वाले क्षेत्र नक्शे/मानचित्र पर चिन्हित किया जाएगा।

इसके बाद इस सीमा के अंदर सभी संपत्तियों को उनके मालिकों की पहचान के साथ चिन्हित किया जाएगा।

इस प्रक्रिया में पंचायतों और स्थानीय प्रशासन की सक्रिय भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है।

इस प्रक्रिया के दौरान कर विभाग के अधिकारियों के सहयोग से तकनीकी चुनौतियों (ड्रौन से सही तस्वीर न आना आदि) या पुराने विवादों जैसे मुद्दों का समाधान किया जाएगा।

इस प्रक्रिया के उपरांत तैयार किये गए मालिकाना प्रमाण पत्र (टाइटिल डीड) को संपत्ति मालिकों को दिया जा सकेगा।

इस योजना को पहले चरण में प्रायोगिक (पायलट) रूप में देश के 6 राज्यों (उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, उत्तराखंड और महाराष्ट्र) के लगभग 1 लाख गॉवों में लागू किया जाएगा।

राष्ट्रीय स्तर पर लक्ष्य :–

देश की 60 प्रतिशत् आवादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, ज्यादातर लोगो के पास उनकी संपत्ति के स्वामित्व दस्तावेज नहीं हैं, वर्तमान में, वर्ष 2020–21 के लिए पायलट चरण का अनुमोदन किया गया है। पायलट चरण लगभग छह प्रमुख राज्यों (हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड) में लगभग 1 लाख गांवों तक विस्तारित होगा ।

राज्य स्तर पर लक्ष्य :–

मध्य प्रदेश, के 55100 गांव में से 1000 गांव प्रथम पायलट चरण के लिए अनुमोदन किया गया है।

पंकज राय,
संकाय सदस्य

अनलॉक के मायने

वर्तमान परिपेक्ष में जल जिंदगी के मायने कई मायनों में परिविर्तत हो रहे हैं। ऐसे में सरकारों को परिवर्तित हो रही कार्य रणनीति के मायनों को भी समझ लेना इस भयावह परिस्थिति से निपटने में कारगर साबित होगा।

68 दिन के लॉकडाउन पीरियड में जहॉ कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2 लाख को भी नहीं छू सका था, वही 46 दिन के आनलॉक पीरियड में देशभर में तकरीबन 9 लाख मामले उजागर हो चुके है। ऐसे में लगातार बढ़ रही बेपरवाही, लापरवाही के उस स्तर को प्राप्त न कर ले जहॉ सतत् स्वास्थ्य और उच्च जीवन–प्रत्याशा के अस्तित्व पर प्रश्नचिन्ह अंकित हो जाए।

ऐसे में लॉकडाउन–अनलॉक के स्ट्रेटजिक क्रम विन्यास के असल मायने सामान्य जन तक उद्घोषित होना आवश्यक हो जाता है। अचानक से ही उद्भूत हुए विशाल कोरोना संकट के प्रसार को संकुचित करना जहॉ लॉकडाउन का मकसद था। वहीं इस हेतु अपनाए गए परिस्थितिजन्य जन–जीवन शैली का अभ्यस्थ होना भी लॉकडाउन के उद्देश्य में शामिल रहा। ऐसे में एक लम्बे समय के पश्चात् अनलॉक की प्रक्रिया में अपेक्षित यही है कि जन–सामान्य लॉकडाउन में जीवन शैली में किए परिवर्तनों के अभ्यस्थ के समान व्यवहार करें।

अतिआवश्यक कार्य हेतु घर से निकलना कोई विकट समस्या नहीं है। इकोनॉमी का रफ्तार पकड़ना अत्यंत अवश्यंभावी है, किन्तु जीवन–स्वजीवन–परजीवन की बलि चढ़ाकर नहीं।

सरकार की गाइडलाइन का उचित अनुसरण, अनलॉक की प्रक्रिया को भी सफलता बना सकता है, जिस–प्रकार भारत जैसे विशाल जनसंख्या स्वामित्व के देश में सफल लॉकडाउन प्रक्रिया सम्पन्न की है।

मास्क, ग्लब्स, सोशल डिस्टेंस, सेनेटाइजेशन ये चार हथियार इस भयावह कोरोना से सुरक्षा के चार स्तम्भ है। वहीं अच्छा, संतुलित भोजन और रोग–प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाले पेय (काढ़ा आदि) प्रतिरक्षा की दृष्टि से उत्तम उपाय है।

इन सबके साथ आत्म–बल और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण भी इस बीमारी से लड़ने में मनुष्य के सहज साथी हैं।

कार्य शैली में हो रहे बदलावों को अपना कर भी इस कठिन समय को पार करना सम्भव है। इसी दिशा में हमारा संस्थान भी पारम्परिक व समस्त ईटीसी के साथ वी.सी. के माध्यम से प्रोसेस आदि के संबंध में साझा हो रहे है। वही फील्ड में वेबिनार जैसी नवीन संकल्पनाओं को समाविष्ट करने हेतु अग्रसर है। संस्थान लॉकडाउन–अनलॉक की प्रक्रिया के साथ–साथ कदमताल करते अग्रसर है। जन सामान्य को भी बदलते परिवेश के सम्मान में परिवर्तित जीवन शैली अपनाकर परिस्थिति के अनुरूप कदमताल करनी होगी, तब ही वास्तव में अनलॉक के सही मायने समारात्मक परिदृश्य के रूप में परिलक्षित हो सकेंगे।

श्रृद्धा सोनी,
खण्ड पंचायत अधिकारी

नदी पुर्नजीवन से किसानों को मिला पानी

जल है तो कल है, जल ही जीवन है। जीवन के लिये पानी जरूरी है। जिला सिवनी मध्य प्रदेश की जनपद पंचायत बम्होडी का आस पास धान (चावल उत्पादन के लिये) का क्षेत्र है। अधिकांश किसान वर्षा पर निर्भर रहकर धान की खेती करते है। कम वर्षा होने पर धान की फसल एवं उत्पादन में असर पड़ता है, ऐसी स्थिति को निपटाने के लिये जिला प्रशासन एवं जनपद पंचायत बरघाट की तकनीकी विगं (ग्रामीण यांत्रिकी सेवा) ने ग्राम पंचायत बम्होडी में माइक्रो वाटर शेड नंबर 4ESH4R8 में स्थित सेलुआ पहाडी पर जिसका क्षेत्रफल 4.87 हेक्टयर है। वर्ष 2018–19 में मनरेगा के अंतर्गत नदी पुर्नजीवन योजना के माध्यम से हिर्री नदी में नदी पुर्नजीवन का कार्य प्रारंभ किया गया। हिर्री नदी का जलमार्ग जनपद पंचायत कुरई, बरघाट एवं केवलारी है जो की किसानों के लिये जीवन रेखा है। हिर्री नदी का जलमार्ग मुख्यतः बरघाट जनपद पंचायत क्षेत्र की 84 ग्राम पंचायत क्षेत्रों को समाहित करता है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा जनपद पंचायत बरघाट के द्वारा हिर्री नदी की नदी पुर्नजीवन की कार्ययोजना बनाकर ग्राम पंचायत बम्होडी के सेलुआ पहाडी पर कन्टूर ट्रेंच की 10 युनिट में लगभग 5800 कन्टूर ट्रेंच, लूस बोल्डर, चेक डेम, खेत तलाब, 05 परकोलेशन टेंक, सीपीटी निर्माण मेंड बंधान एवं नाला जल संवर्धन के कार्य किये गये। नदी पुर्नजीवन हेतु किये गये कार्य में 738 मजदूरों को मनरेगा के अंतर्गत कार्य दिया गया। 12.9 हेक्टयर एवं नदी पुर्नजीवन कार्य किये जाकर पानी को रोकने का कार्य किया गया। किये गये कार्य का प्रभाव हिर्री नदी के बढ़ते पानी पर हुआ नदी पुर्नजीवन कार्य से लगभग 51 किसानों एवं 12.9 हेक्टयर भूमि को लाभ मिला।

नदी पुर्नजीवन कार्य से जल संरक्षण मिट्टी कटाव का बचाव के साथ–साथ धान की फसल में पानी का उपयोग कर धान उत्पादन में वृद्धि हुयी। नदी पुर्नजीवन कार्य से नदी पुर्नजीवित होकर आमजन एवं पशुओं को निस्तार का पानी प्राप्त हुआ। नदी में अधिक भराव रहने से आसपास के कुयें एवं बंद हेण्डपंपों में पुनः पानी आ जाने के कारण आमजन को लाभ मिला।

नदी पुर्नजीवन का उद्देश्य "दौड़ते पानी को चलाना, चलते हुये पानी को रेंगना और रेंगते पानी को रोकर उपयोग करना है।" मनरेगा के अंतर्गत हिर्री नदी पर नदी पुर्नजीवन जैसे कार्य किसानों को पानी देकर किसानों की आजीविका सुद्धढ़ करने में सहायक सिद्ध हुई है। निश्चित ही यह पहल प्रशासन एवं ग्राम पंचायत के संयुक्त प्रयास से सफल सराहनीय कार्य है। मध्य प्रदेश की हर पंचायत को जल संरक्षण एवं जल संवर्धन हेतु अपने क्षेत्र में लुप्त होती हुयी नदियों पर नदी पुर्नजीवन जैसे कार्य करना चाहिये। मध्य प्रदेश में कृषि समृद्धि को आधार देना जलसंरक्षण जल संवर्धन हेतु नदी पुर्नजीवन जैसे कार्य मनरेगा में प्राथमिकता से लेकर कार्य करने में पानी का उपयोग सिचिंत कार्य से मध्य प्रदेश के किसान आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेंगे।

सी.के. चौबे,
संकाय सदस्य

ड्रिप पद्धति से सब्जी व फलों की खेती से अर्जित की डेढ़ लाख की आय – कृषक शंभूदयाल सुमन की सफलता की कहानी

श्योपुर जिले के आदिवासी बाहुल्य विकासखण्ड कराहल के ग्राम सेमल्दा हवेली के कृषक शंभुदयाल सुमन पुत्र मोहनलाल ने अपने खेत में गेंदा, गुलाब, गैलार्डियां, सेवंती एवं सब्जियों की खेती से लगभग तीन गुना अधिक आय अर्जित की है। इससे अब अन्य किसान भी उनका अनुसरण कर रहे हैं।

कराहल विकासखण्ड के ग्राम सेमल्दा हवेली के कृषक शंभुदयाल सुमन पूर्व में अपनी भूमि 1.421 हेक्टेयर में गेहूं, चना, सरसों आदि की खेती करते थे, जिसमें उनको सीमित आय प्राप्त होती थी, एक दिन ग्रामसभा में उद्यानिकी विभाग के अधीक्षक से उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने श्री सुमन को समझाइश दी कि, उद्यानिकी फसल गेंदा, गुलाब, गोलार्डिया, सेवंती एवं सब्जी की खेती से अधिक आय प्राप्त की जा सकती है। इस पर उन्होंने उद्यानिकी रकवा 0.400 हेक्टेयर में फूल और सब्जी की खेती के लिए प्रकरण उद्यानिकी विभाग से तैयार कराया। जिलाधीश श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव की पहल पर सहायक संचालक उद्यानिकी पंकज शर्मा ने उनका प्रकरण उद्यानिकी अधीक्षक संजय निकुंज से तैयार कराया, साथ ही उद्यानिकी फसलों के लिए यंत्रीकरण का उपयोग करने के लिए ड्रिप सिस्टम की स्वीकृति दिलाई। इसके बाद शंभुदयाल सुमन ने ड्रिप पद्धति से 0.400 हेक्टेयर में उद्यानिकी फसल गेंदा, गुलाब, गैलार्डिया, सेवंती एवं सब्जी की खेती करना प्रारंभ किया। शंभुदयाल सुमन ने बताया कि पूर्व में गेहूं, चना, सरसों की सफल से प्रतिवर्ष 80–90 हजार रूपये की आय प्राप्त होती थी। अब राज्य सरकार के उद्यानिकी विभाग की पहल पर वर्तमान में उनकी आय बढ़कर प्रतिवर्ष 1. 50 लाख रूपये हो गई है।

संजय जोशी,
संकाय सदस्य

जेंडर बजटिंग

जेंडर बजटिंग क्या है–

जेंडर संवेदी बजटिंग/जेंडर बजटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो विकास बजट बनाते समय जेंडर संवेदनशीलता को लेकर न्यायोचित पद्धतियाँ अपनाती है। लैंगिक समानता को मुख्यधारा में लाने के लिये यह एक शक्तिशाली साधन है ताकि विकास के लाभ को महिलाओं तक भी उतने ही अनुपात में पहुँचाया जाना सुनिश्चित किया जा सके जितना पुरुषों के लिये पहुँचता है।जेंडर बजटिंग पद्धति अपनाने के पीछे तर्क ये है कि स्त्री –पुरुष भेद के प्रति संवेदनशील नीतियो का निर्धारण हो,योजनाएं निष्पक्ष हो और बजट आवंटन तथा जेंडर समानता सभी विभागों में लागु हो। जेण्डर प्रतिसंवेदी बजट,जेण्डर संवेदी बजट और महिलाओं का बजट इन शब्दों का उपयोग प्रायः एक दूसरे के लिए किया जाता है।वार्षिक बजट में महिलाओं और बालिकाओं के विकास के लिए आबंटित बजट के प्रावधान और खर्च पर समीक्षा करना जेण्डर बजटिंग कहलाता है।इसमें महिलाओं के लिए अलग से बजट का निर्माण नहीं किया जाता लेकिन आम बजट में महिलाओं और बालिकाओं पर हुऐ व्यय के अडिट की समीक्षा की जाती है। जेण्डर बजट का मतलब यह नही है कि महिलाओं के लिए अलग से बजट पेश किया जाए, बल्कि मुख्य बजट में ही कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि सामाजिक–लैंगिक दरार को भरने के लिए मदद मिल सके।

सरकारी पैसों को किस मद में कितना खर्च किया जाए और कहां से पैसा जमा किया जाए बजट में मुख्यतः यही काम होते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे किसी परिवार में मासिक एवं वार्षिक आय–व्यय का लेखा जोखा रखा जाता है। इस आय एवं व्यय को यदि सरकार इस प्रकार व्यवस्थित करती है,ताकि उसके लाभ से सामाजिक विकास में पीछे छूटती आधी जनसंख्या को मदद पहुंच सके, तो उसे संवेदनशील बजट कहते है,इसमें वंचित,कमजोर,और बेसहारा महिलाओं पर ज्यादा जोर होता है।

जेंडर बजट की आवश्यकता व महत्व–

जेंडर आधारित बजट एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा सरकार के बजट बनाने की प्रक्रिया में जेंडर समानता को बढ़ावा देने वाले विश्लेषणों के आधार पर सार्वजनिक संसाधनों का निर्धारण किया जाता है। जेंडर आधारित बजट सरकारी कर्मचारियों को इस बात का विश्लेषण करने में भी मदद करता है कि सरकार के द्वारा किये गये वायदों और उनको पूरा करने के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों के अंतर को सरकार किस प्रकार से पूरा करने का निर्णय लेती है। जेंडर आधारित बजट महिलाओं और पुरूषों के लिए अलग बजट बनाने की बात नहीं करता है,वल्कि यह सरकार में मुख्यधारा के बजट आधार पर महिलाओं ओर पुरूषों पर पड़ने वालो प्रभावों को अलग–अलग दिखाने का एक प्रयास है।

यदि भारत में महिलाओं की स्थिति के संदर्भ में देखा जाय तो देश की आबादी का कुल 48 प्रतिशत हिस्सा होने के बाद भी देश के कुल संसाधनों पर उनकी हिस्सेदारी बहुत ही कम है। देश के कुल सार्वजनिक व्यय का एक बड़ा हिस्सा जेंडर न्यूट्रल क्षेत्र जैसे– बिजली,रक्षा,यातायात आदि पर खर्च होता जाता है,जिससे महिलाओं को कोई विशेष लाभ नहीं मिलता है। केन्द्रीय बजट में भी सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं के लिए खर्च की जाने वाली कुल राशि का करीब पांच प्रतिशत ही रहती है।

बजट के लिये पाँच–चरणीय फ्रेमवर्क –

चरण 1– किसी क्षेत्र विशेष में महिलाओं और पुरुषों तथा लड़कियों और लड़कों (और विभिन्न उपवर्गों) के लिये स्थिति का आकलन।

चरण 2– क्षेत्र विशेष की नीतियाँ लैंगिक मुद्दों और पहले चरण में उल्लिखित भेदभाव को किस हद तक संबोधित करती हैं।

चरण 3–चरण 2 में पहचानी गईं लिंग–संवेदी नीतियों और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिये बजट आवंटनों की पर्याप्तता का आकलन।

चरण 4–इसका निरीक्षण की धन नियोजित तरीके से ही व्यय हुआ या नहीं,और कौन–से लाभ किस तक पहुँचे।

चरण 5–नीति/कार्यक्रम/योजना के प्रभाव का आकलन और इसकी विवेचना कि चरण 1 में विवरित की गई स्थिति में किस हद तक बदलाव हुआ।

भारत में जेंडर लैंगिक बजटीकरण

जेंडर/लैंगिक बजट अभिव्यक्ति (GB) को पहली बार 2005–06 के भारतीय बजट में प्रस्तावित किया गया था। इस जेंडर बजट अभिव्यक्ति के दो हिस्से हैं–

भाग 'अ' में नारी–विशेष योजनाएँ हैं,अर्थात् वे योजनाएँ जिनमें महिलाओं के लिये 100 प्रतिशत राशि आवंटित की गई हो,

भाग 'ब' में महिलाओं के लाभ की योजनाएँ हैं,अर्थात् वे योजनाएँ जिनमें कम–से–कम 30 प्रतिशत आवंटन महिलाओं के लिये हो।

भारत के जेंडर/लैंगिक बजट के प्रयास विश्व स्तर पर अलग हटकर दिखते हैं क्योंकि उन्होंने न सिर्फ व्यय को बल्कि राजस्व नीतियों को भी प्रभावित किया है (जैसे पुरुषों और महिलाओं के लिये संपत्ति कर की अलग–अलग दरें और आयकर संरचना पर पुनर्विचार) और जेंडर बजट राज्य सरकारों के स्तर तक पहुँच गए हैं।

भारत में जेंडर बजट के प्रयास चार आनुक्रमिक प्रावस्थाओं से मिलकर बने हैं : (ज्ञानार्जन और नेटवर्क निर्माण, प्रक्रिया को संस्थागत बनाना,क्षमता–सर्जन और जवाबदेही को बढ़ाना)।

भारत में जेंडर बजट महज लेखा–जोखा क्रियाकलाप तक सीमित नहीं है। लैंगिक बजटीकरण फ्रेमवर्क ने लिंग–निरपेक्ष मंत्रालयों को महिलाओं के लिये नए कार्यक्रम चलाने में मदद की है।

सभी मंत्रालयों में एक संस्थागत क्रियाविधि के रूप में लैंगिक बजटीकरण प्रकोष्ठ की अवस्थापना अनिवार्य कर दी गई है।

लैंगिक बजटीकरण प्रकोष्ठ के कार्यों में लिंग आधारित प्रभाव आकलन, लाभार्थी की आवश्यकताओं का आकलन और लाभार्थी व्यापकता आकलन हैं जिनका उद्देश्य सरकारी व्यय को पुनः प्राथमिकता देने के अवसर की पहचान करना और क्रियान्वयन में सुधार करना है।

कमियाँ–

- न सिर्फ केंद्रीय बजट के कुल व्यय में जेंडर बजट का आनुपातिक हिस्सा कम हुआ है,बल्कि लैंगिक समानता और महिला सशक्तीकरण को प्रोत्साहित करने वाली योजनाओं के लिये बजटीय आवंटन में भी

गिरावट आई है। 'बड़े बजट' की बहुत कम ऐसी योजनाएँ हैं जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालयद्वारा विशेष तौर पर महिलाओं के लिये चलाई जा रही हों जैसे 'निर्भया कोष और 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं अभियान।

- जेंडर बजटीकरण प्रकोष्ठों द्वारा चिह्नित किये गए हस्तक्षेपों को लागू करने के लिये जरूरी समर्पित मानव संसाधनों की कमी।
- जेंडर उत्तरदायी बजटीकरण (GRB) कार्य में निरीक्षण सबसे कमजोर कड़ी के रूप में अब भी बरकरार है क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर निरीक्षण करने के लिये कोई निर्दिष्ट क्रियाविधि मौजूद नहीं है।

वर्तमान परिदृष्य –

माननीय निर्मला सीतारमण वित मंत्री भारत सरकार ने बजट में महिला–विशिष्ट योजनाओं के लिए अधिक धन अर्जित किया है,जो एक पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं। तथाकथित जेंडर बजट के तहत घोषित खर्च 2019–20 (FY20) के लिए 1.37 ट्रिलियन तक बढ़ गया है, जो 2018–19 (FY19) में 1.22 ट्रिलियन था। हालांकि, कुल बजट के हिस्से के रूप में, वास्तव में मामूली गिरावट है।

जेण्डर बजट आवंटन कुल बजट का 4.91 प्रतिशत हिस्सा है। यह वित्त वर्ष 2018–19 में 4.99 प्रतिशत और 2017–18 में 5.28 था। पिछले पांच वर्षों के दौरान इस तरह के खर्च का औसत हिस्सा 5 प्रतिशत था। 2014–15 में सबसे ज्यादा 5.5 फीसदी थी। 2004–05 में शेयर 2.3 प्रतिशत से अधिक हो गया है।

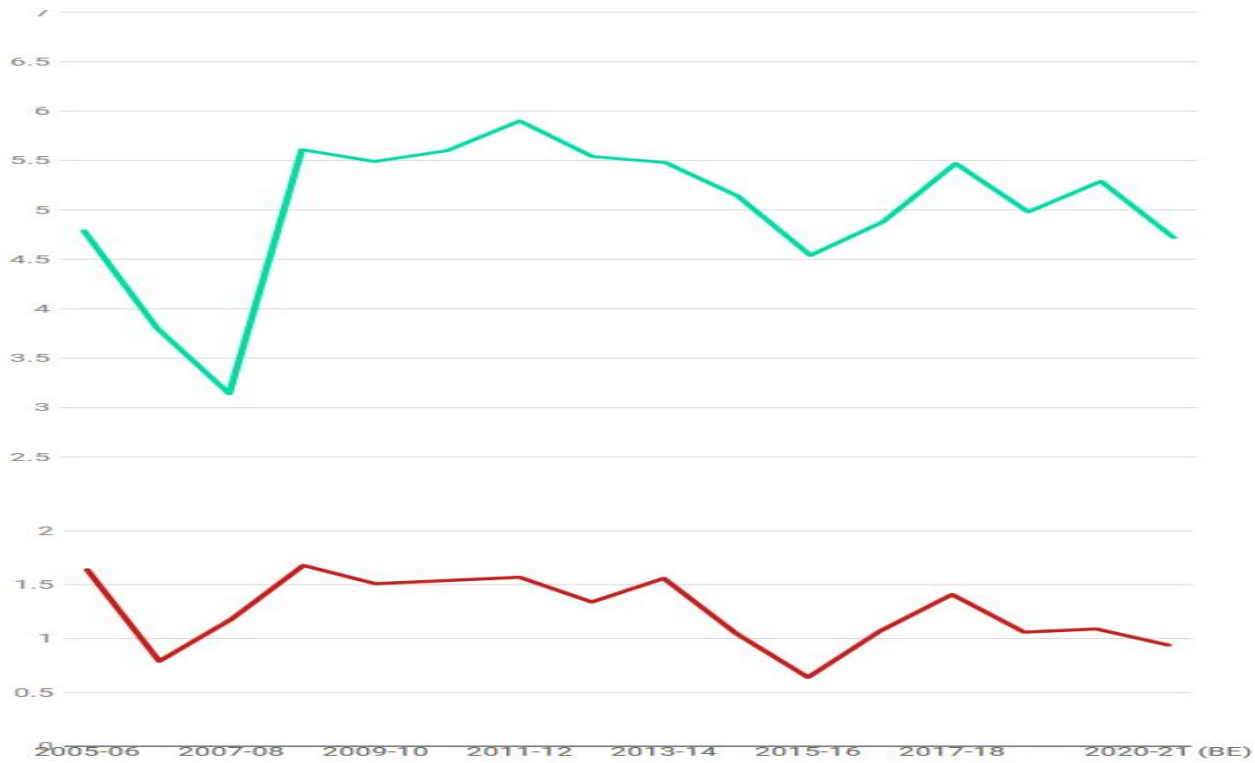

चार्ट के स्रोत – बजट दस्तावेज

जेंडर बजट,खर्च किए गए धन की मात्रा और लिंग पर इसके प्रभाव को सटीक रूप से मापता है। यह कदम आवंटन में सुधार करना और इसे अधिक लिंग–संवेदनशील बनाना है। यह जेण्डर असमानता को कम करने और महिलाओं के कल्याण में सुधार करने में मदद करता है।

इस खर्च में महिलाओं की सुरक्षा (निर्भया फंड) की योजना के लिए अलग से रखे गए 891.23 करोड़ रुपये शामिल हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना भी है,जिसमें 2500 करोड़ रुपये हैं। यह गरीब घरों में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस उपलब्ध कराने की योजना के समावेश से भी बढ़ी है,जिसका मूल्य 2724 करोड़ रुपये है। आंगनवाड़ी सेवाएं उन योजनाओं में से एक थीं जिन्हें उच्च आवंटन प्राप्त हुआ था। इसे 11,702.3 करोड़ रुपये का आवंटन मिला। यह वित्त वर्ष 2019 में 9,637.58करोड़ रुपये के आवंटन में 21.4 प्रतिशत की वृद्धि है एक दिलचस्प हिस्सा यह है कि आवंटन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा आवास और रोजगार जैसी बड़ी योजनाओं के हिस्से के रूप में आता है,जो विशेष रूप से महिलाओं को लक्षित नहीं करते हैं। एक ग्रामीण आवास (प्रधानमंत्री आवास योजना) है,जिसे लैंगिक बजट और 19,000 करोड़ रुपये के खातों के तहत शामिल किया गया है। उसी योजना का एक शहरी संस्करण भी शामिल था,जिसका अन्य रु 3,537.43 करोड़ था। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 20,000 करोड़ रुपये भी थे।

जेंडर/लिंग बजट में शेयर (%में)

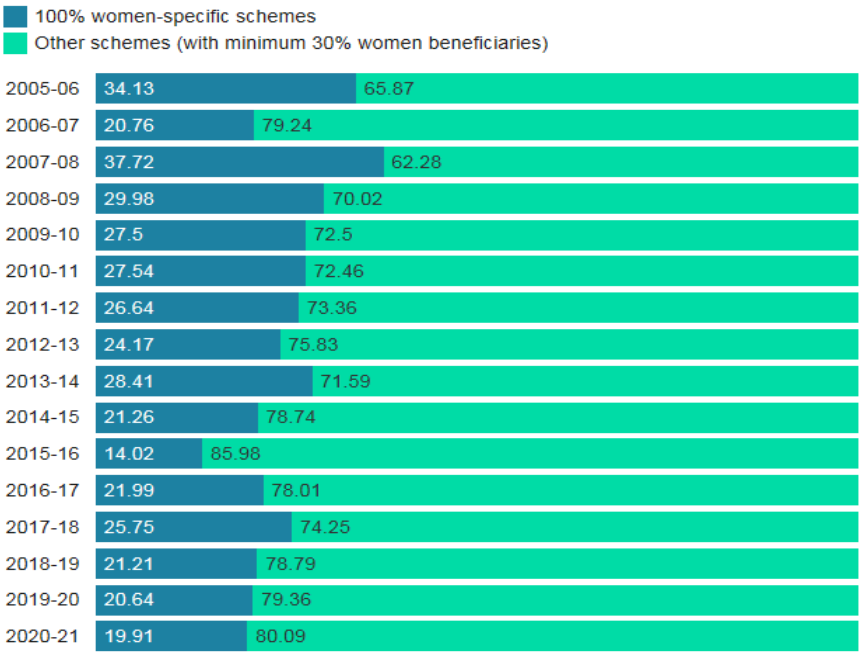

कुल खर्च में भाग ए कार्यक्रम शामिल हैं जो 100 प्रतिशत महिला विशिष्ट हैं। और भाग बी कार्यक्रम जिनमें कम से कम 30 प्रतिशत महिला विशिष्ट व्यय हैं।

आगे की दिशा–

भारत में जेंडर उत्तरदायी बजटीकरण के आकलन से मिली–जुली तस्वीर बनती है।बहुत से सकारात्मक बदलाव आए हैं जैसे चुनिन्दा योजना और बजट प्रक्रियाओं में परिवर्तन तथा लैंगिक बजट प्रकोष्ठों की स्थापना। हालाँकि, लैंगिक बजट की सीमित पहुँच और लैंगिक एजेंडा के लिये स्थिर या कम होते आवंटन चिंतनीय विषय हैं। अंततः हम यह कह सकते है कि जेंडर बजटिंग के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है । सरकार ने कुछ योजनाओ में जेंडर बजटिंग प्रारभ्म की है, किन्तु अगर जेंडर बजटिंग के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का उद्देश्य पूरा करना है तो ये सुनिश्चित करना होगा कि बजट महिलाओ के लिए ज्यादा संवेदनशील हो ,और देश की प्रत्येक महिला तक इसका लाभ पहुंचे।

दीपा कोटस्थाने,
सहायक संचालक

काव्य रचना – ''मौसम और योग''

गर्मी के उमस भरे दिन और कठोर धूप
जिन्दगी के बदलते रंग, तेवर और बढ़ता रौद्र रूप
आदमी और जिन्दगी के रिश्तों का चेहरा हो रहा है स्याह
अब दिखती नहीं कोई सीधी सपाट राह
व्यक्ति–व्यक्ति के बीच सिमटते रिश्तों का गणित
बुराई और अच्छाई के मध्य सिमटती जीवन की रीत
प्रकृति और पर्यावरण के साथ बदलता मौसम का चक्र
जैसे इंसानी स्वार्थ पर दृष्टि दिखा रहा हो वक्र
आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जोड़ें जीवन के योग
शरीर के साथ दूर करें, मन के भी रोग
जब होगा प्रकृति और इंसान का संयोग
तभी सफल व सिद्ध होगा हम सबका उद्योग।

प्रतीक सोनवलकर,
संयुक्त आयुक्त

वायु प्रदूषण से हो रही बीमारी एवं बचाव

क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज प्रशिक्षण केन्द्र उज्जैन से 149.4 किलो मीटर दूर मध्यप्रदेश स्टेट के मंदसौर जिले के जनपद पंचायत मदंसौर के हाईवे पर स्थित है ग्राम पंचायत दालौदा चौपाटी। यहा के सरपंच है श्री विपिन जैन जिन्हौने अपने कार्याकाल में उत्कुष्ट कार्य कराकर ग्राम पंचायत दालौदा चौपाटी को एक आदर्श पंचायत के रुप में विकसित किया है ग्राम पंचायत दालौदा चौपाटी ISO -9001-2008 प्रमाणित ग्राम पंचायत है पूर्व ग्राम पंचायत की हालत अन्य सभी ग्राम पंचायतों की तरह ही खराब थी, किन्तु श्री विपिन जैन के कुशल नेतृत्व एवं प्रबंधन से ग्राम पंचायत दालौदा चौपाटी में विकास की नई राह खुल गयी है।

देश मे प्रदूषित होती जा रही हवा के बीच वायु प्रदूशण की भयावह तस्वीर दिखाने वाली एक रिर्पोट आई है साल 2019 से वायु प्रदुशण के कारण देश मे 1.16 लाख नवजातों की मौत हुई हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट ने स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर–2020 नामक वैि वक रिर्पोट जारी की।

रिर्पोट के अनुसार इनमें आधी से ज्यादा मौतों का संबध बाहरी पीएम 2.5 प्रदुशक तत्व से है। इसके अलावा अन्य मौतें कोयला, लकडी और गौबर से बने ठोस ईधन से जुडी हुई है।भारत मे 2019 में बाहरी और घरेलू वायु प्रदूशण के लंबे समय के प्रभाव के कारण स्ट्रोक,दिल का दौरा डायबटीज, फेफडे के कैसर फेफडो की पुरानी बीमारियां और नवजात रोगों से ये मौतें हुई। नवजात शिशुओं में ज्यादातर मौतें जन्म के समय कम वनज और समय से पहले जन्म से संबंधित जटिलताओं से हुई। दक्षिण एरिया मे आस–पास के प्रदूशण ने भी

एक प्रमुख भूमिका निभाई। 50 प्रतिशत नवजात की मृत्यु धर के बाहर के वायु प्रदूशण के संपर्क में आने से जुडी थी।

जन जागरूकता संबंधी गतिविधियो के माध्यम से वायु प्रदूषण वायु प्रदूषण में कमी लाने और मानव स्वास्थ्य पर्यावरण को सुरक्षित कराने की जानकारी हर व्यक्ति के लिए जरूरी है वायु प्रदूषण हवा में ठोस कणो, तरल बिन्दु या गैस के रूप में मौजूद पार्टिकुलेट मैटर (कणिका तत्व) से होता है यह प्राकुतिक या कृतिम हो सकते है अति सूक्ष्म पार्टिकल नासिका या मुॅह द्वारा श्वसन के दौरान फेफडो तक पहुचते है यहॉ से रक्त की धमनियो में प्रवेश कर शरीर के विभिन्न भागो में यह कण पहुचते है और दिल फेफउे दिमाग आदि को हानि पहुचाते है । यह वायु प्रदूषण औधोगिक धुऍ वाहनो के धुऍ, घूल, जंगल की आग, या ज्वालामुखी के फटने से निकलते है वायु प्रदूषण कैसे होता है वायु प्रदूषण कितने प्रकार का होता है ताकि हमें बार बार बताया जाता है घर में होने वाला प्रदूषण आन डोर पाल्यूशन कहलाता है। रसोई घर मे कोयला , कंडे, लकडी को ईधन के रूप में उपयोग किया जाता है। कैरोसिन लैंप, स्टोव का उपयोग मच्छर , अगरबत्ती, धूपबत्ती का धुआ , बीडी या सिगरेट का धूम्रपान,सिगडी का अलाव जलाना, कुडा कचरा जलाना, घर में घुलाई सफाई के लिए रसायनो का प्रायोग आउट डोर पाल्यूशन घर के बाहर होने वाला वायु प्रदूषण आउट डोर पाल्यूशन कहलाता है।

वायु प्रदूषण से होते है यह नुकसान

वायु प्रदूषण से फेफडो के कैसर निमोनिया, अस्थमा , दिल का दौरा स्ट्रोक जैसी बीमारिया हो सकती है फेफडे के कैंसर से होने वाली मृत्यु दर 29 प्रतिशत मौत का कारण वायु प्रदूषण होता है स्ट्रोक या दिमागी दौरा पडने से होने वाली मृत्यु 24 प्रतिशत मृत्यु का कारण वायु प्रदूषण होता है फेफडे की बीमारियॉ से होने वाली मृत्यु 25 प्रतिशत मृत्यु कारण वायु प्रदूषण होता है। फेंफड़े की बीमारियो से होने वाली मृत्यु में 43 प्रतिशत मृत्यु का कारण वायु प्रदूषण होता है । गर्भवती महिला को शिशु का गर्भ में विकास प्रभावित होता है गर्भस्थ शिशु का समय पूर्व जन्म, कम वजन का होना आई क्यू कम होना , सीखने में कठिनाई होना बडी उम्र में मोटापा या डायविटीज जैसी बीमारिया का खतरा बना रहता है।

वायु प्रदूषण से बचने के उपाय

रसोई घर में स्वस्छ ईधन का उपयोग , खाना बनाते समय खिडकी दरबाजे खुले रखना, वाहनो का पीयूसी प्राप्त करना, पेड, पोधे लगाना, हरियाली बढाना कूडा,कचना न जमाना, धूमपान न करना घर के बाहर निकलने से पहले एयर क्वालिटी इन्डेक्स चैक करना और वायु प्रदूषित होने पर घर से बाहर न निकलना पैदल चलना और साइकिल का प्रयोग करना प्रमुख है।

झनक सिंह कुहकुटे
संकाय सदस्य

सफलता की कहानी

कोविड–19 यानि कोरोना वायरस के संक्रमण का प्रसार भारत ही नही अपितु समस्त विश्व के लिये चुनौती बना है। कोरोना के संक्रमण का प्रसार जिस तरह होता है, उससे बचना और बचाना बहुत बडी चुनौती है और हमारा छतरपुर जिला इस चुनौती का डटकर मुकाबला कर रहा है।

प्रशासन व्यवसायी समाज सेवी संस्थाये या सभी प्रबुद्व वर्ग अपना कोई न कोई योगदान कोरोना के संक्रमण की श्रंखला को तोडने में मद्द कर रहा है। इतने बडे जन समुदाय की आवश्यकताओं की पूर्ति सभी प्रतिष्ठान को बन्द करके करना एक भागीरथी प्रयास जैसी कार्य है लॉक डाउन और सोसल डिस्टेंसिंग का पालन करना और सभी की चिकित्सा भोजन से जुडी रोजमर्रा की पहुंच सभी तक बनाये रखना लोगो के घरो से बाहर निकले बगैर। वही दूसरी ओर दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों की घर वापिसी अस्पतालो में फंसे मरीज और उनके परिजनो को भोजन ये सब भी सुनिश्चित करना। दूसरी तरफ सरकार द्वारा घोषित राहत राशि एवं सामग्री पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाना जिससे गरीब बंचित वर्ग की जिदंगी में संकट न आये।

इन सब कार्यो में प्रशासन का सहयोग बहुत व्यक्तियों एवं संस्थाओं ने किया लेकिन रेजुबनेट भारत मूवमेंट की टीम ने छतरपुर,टीकमगढ एवं पन्ना के कुल 90 गांवो में पूरी मेहनत एवं लगन के साथ कार्य किया। कोरोना योद्वा बन पूरा समय दिया। आगे इस टीम की योजना है कि कार्यरत् गांवो में कुपोषित एवं अति कुपोषित बच्चो को पोषण आहार मुहैया कराकर उन्हें कुपोषण से बचाना है।

रेजुबनेट भारत की टीम ने इन 90 गांव की 3000 बच्चो को पोष्टिक आहार प्रदान करने की कार्य योजना पर कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है।

संकट के समय मनुष्यता और मानवीयता की पहल हमारे समाज की देश की ताकत है और यही मूल एवं संस्कृति हमारे देश की पहचान है जिसका नाम भारत है।

राजेन्द्र प्रसाद खरे
संकाय सदस्य

आजीविका मिशन जिसने हमे अपने पैरो पे चलना सिखा दिया सुश्री रोशनी नागले जिला बैतूल का सफरनामा

नाम	–	सुश्री रोशनी नागले	विकासखंड	–	बैतूल
उम्र	–	23 वर्ष	जिला	–	बैतूल
जाति/वर्ग	–	अ0ज0जा0	राज्य	–	मध्यप्रदेश
पारिवारिक स्थिति	–	3 सदस्य (माता पिता एवं एक पुत्री)			
समूह का नाम	–	शिव स्व सहायता समूह (अध्यक्ष)			
ग्रामसंगठन	–	उजाला महिला बहुउद्देशीय बहु प्रयोजन सहकारी समिति मर्यादित बैतूल ग्राम संगठन (अध्यक्ष)			

पारिवारिक समस्याएं

मेरा जन्म एक छोटे से गॉव में हुआ मेरे गांव का नाम कोसमी है। मेरे परिवार मे कुल 5 लोग है। मेरे परिवार की स्थिति ठीक न होने के कारण इन्होने आगे की पढाई पूरी नही की मैं एक निर्धन परिवार से हूॅ। हमारे पिताजी भी मजदूरी करते थे। मेरे पिता जी ने दिन रात काम करके हमारी पढाई करवाने की पूरी कोशिश की।

मेरी माताजी गंभीर रूप से अस्वस्थ हो गई। माताजी के कोमा मे जाने के कारण उनके ईलाज में

पैसो की तंगी आने लगी। हमें मजबूरी मे हमारी पढाई बीच मे छोडना पडा कुछ समय के बीत जाने के बाद हमारे पापा जी को एक गंभीर बीमारी का सामना करना पडा।

हमारे पिताजी भी अस्वस्थ हो गये थे। इनके कैंसर होने के वजह से हम सभी बहनें बहुत परेशान रहती थी। हमारे पिताजी का इलाज करवाने के लिए हमारे पास जो भी जमा पूँजी थी वह सब इलाज में खर्च होने लगे अब तो घर चलाना मानो किसी मुसीबत से कम नही था फिर भी कर्ज लेकर हमारी बडी बहिन ने हमारी शादी करवा दी।

इसके बाद में स्वसहायता समूह से जुड़ी। मेरे पति और मेरी सासुमॉ ने मेरा पूरा–पूरा साथ दिया। इनकी वजह से ही मैं मुसीबतों से मुकाबला करने के सक्षम हो सकी हूँ। मेरा संपर्क क्षेत्र भी बढ़ा है और सभी के सहयोग से समस्याओं समाधान का प्रयास करती हूँ।

स्व–सहायता से जुड़ाव

वर्ष 2017 से मैं अपने गांव के स्व–सहायता समूह से जुड़ी। मैंने स्वयं को सम्हालने के साथ साथ अपने परिवार व गांव के लोगों को सशक्त करने का बीड़ा उठाया। मेरे कार्य और व्यवहार को देखते हुये मेरा चयन आजीविका मिशन द्वारा सामुदायिक स्त्रोत व्यक्ति (सीआरपी) के लिये किया गया।

इसके बाद हमने लगभग 20 दिनों में जिला बैतूल के ही चिचोली विकासखंड के समूह बनाने का कार्य किया। लगभग 14 दिन सोशल आडिट कार्य करने में ग्रामसभाओं के साथ मिल कर जागरूकता बढ़ाने, ग्राम सभाओं और ग्राम पंचायतों को सशक्त करने का प्रयास किया। इन अनुभवों से मुझ में आत्मविश्वास बढ़ा और मुसीबतों से संघर्ष करने की क्षमता भी विकसित हुई। स्व–सहायता समूह से जुड़ने से हमारी बचत बढ़ने लगी और अब हमें दूसरो के सामने हाथ नही फैलाना पडता है।

अब मै इतनी काबिल हो चुकी हूँ कि मैं दूसरो की भी मदद कर सकती हूँ। जब मै पहली बार आरसेटी में ट्रेनिंग ली फिर मैने कुछ पंचायतों में सोशल आडिट का कार्य भी किया और चिचोली विकासखंड में ग्राम देवपुर में हमने 20 समूहों का गठन किया फिर उचागोहान में 11 समूहों का गठन किया। अब हम गर्व से कह सकते है कि हम महिला चाहे तो अकेले भी गॉवो में जाकर काम कर सकती है।

महिला हिंसा की रोकथाम के प्रयास

शिव समूह की सदस्य श्रीमती कमला धुर्वे के पति ने उन्हे कई सालो पहले छोड दिया था और अभी तक उनकी कोई जानकारी नही है। वह महिला बहुत परेशान रहती थी उनके परिवार में 1 बेटा एवं 1 बेटी है जो कि आभी नाबालिग है उस दीदी के लिये घर चलाना किसी तुफान से कम नही था।

श्रीमती कमला धुर्वे जो कि 45 वर्ष की जो चुकी थी उनके पास आय का कोई साधन नही था वहॉ पति के जाने के बाद वह मदिरा का सेवन करने लगी थी उनका परिवार मानो जैसे टूट कर बिखर ही रहा था जब उन्हे आजीविका मिशन के माध्यम से उन्हे समूह से जोड दिया आज वह महिला की मानसिक संतुलन बिल्कुल ठीक रहता है वह अपने दोनो बच्चो का पूर्ण रूप से पालन में समर्थ हो चुकी

है और वह अब मदिरा पान भी नही करती एवं एक जिम्मेदार नागरिक होने का पूरा कर्त्तव्य निभाती है।

आपदा सहयोग हेतु मुट्ठी भर चावल एवं सहयोग राशि ग्राम संगठन

गुलाब समूह की श्रीमती बसन्ती धुर्वे की 2 संतान है। श्रीमती बसन्ती दीदी का मानसिक संतुलन ठीक नही है वह महिला किसी से बात नही कर पाती इन सदस्यों के परिवार हेतु उनकी अति गरीब स्थिति को ध्यान में रखते हुए ग्राम संगठन अध्यक्ष की प्रेरणा से निर्णय लिया गया कि ऐसे सभी अति गरीब परिवरो का सहयोग ग्राम संगठन करेगा और इस प्रकार ग्राम संगठन के सभी सदस्यों द्वारा एक–एक मुट्ठी चावल जमा किया गया साथ ही उसे स्वस्थ्य एंव स्वच्छता से रहने के लिये प्रोत्साहित किया।

समूह से मिली शक्ति

समूह से जुडकर मैने 20 रूपये साप्ताहिक बचत शुरू की। समूह से छोट बडे ऋण लेकर अपने परिवार की जरूरते पूरी की। ग्राम में समस्त समूहो के सदस्यों के सहयोग हेतु सदैव तत्पर रहने एवं समूह में सभी सदस्यों के हितो का ध्यान रखने के कारण मुझे सक्रिय महिला के रूप मे चुना गया।

सभी समूहों को जानकारी मिलती जाती है। जानकारी के सहारे हमारे समूह सदस्यों की परेशानी का निराकरण हम सभी मिलकर करते हैं। जब समूह के सदस्यों की समस्याओं का निपटारा होता है तो इनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है। इन सबको खुश होते देखकर हमें भी खुशी मिलता है।

आज हम आजीविका मिशन से जुडकर इतने काबिल हो चुके है कि अब मैं दूसरो की मदद भी कर सकती हूॅ। धन्यवाद करती हूॅ, आजीविका मिशन का, जिसके कारण हमें जीवन जीने का मतलब समझ में आया। यह कहना ठीक नहीं है कि, महिला कमजोर होती है, वह कुछ कर नही सकती लेकिन आजीविका मिशन के सहयोग से हम स्व–सहायता समूह की सदस्यों ने इसे गलत साबित कर दिया है। धन्यवाद आजीविका मिशन जिसने हमे अपने पैरो पे चलना सिखा दिया। मानो जैसे आजीविका मिशन हमारे लिए भगवान है।

इस तरह से सुश्री रोशनी नागले के सफरनामा से हम सीख सकते हैं कि, हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए। जहां चाह है वहां राह है। जिस तरह से रोशनी ने स्व–सहायता के माध्यम से कार्य करके सफलता पाई है वैसे ही गांव की और भी महिलाएं अपने प्रयासों से सफलता प्राप्त कर सकती हैं। महिलाओं के इन प्रयासों में आजीविका मिशन का सहयोग और मार्गदर्शन उल्लेखनीय है।

डॉ. संजय कुमार राजपूत,
संकाय सदस्य

सफलता की कहानी – ग्राम पंचायत सुरपाला जनपद पंचायत गोगावां जिला खरगोन

ग्राम पंचायत सुरपाला जनपद पंचायत गोगावां में ग्राम सभा एवं विकास कार्यो का अवलोकन माननीय श्री सचिन सिन्हा, प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मध्यप्रदेश शासन भोपाल, माननीय अनुग्रहा पी.कलेक्टर महोदया एवं माननीय श्री गौरव बेनल मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, खरगोन द्वारा किया गया, जिसमें निम्नानुसार निर्देश दिये गये।

1. सर्वप्रथम प्रमुख सचिव महोदय द्वारा उपस्थित ग्रामीणजनों को स्वच्छता, शुद्ध पेयजल, जेण्डर, सुपोषण एवं कोविड–19 तथा स्वास्थ्य के संबंध में जागरूकता हेतु शपथ दिलाई गई।
2. ग्राम सभा में प्लास्टिक कचरा मुक्त करने व शुद्ध पेयजल प्रत्येक घरों में उपलब्ध कराने मनरेगा में कराये गये, प्रगतिरत कार्यो, प्रधानमंत्री आवास, सामाजिक न्याय एवं निःशक्त कल्याण विभाग द्वारा प्रदाय विभिन्न प्रकार की पेंशनो, संबल योजना, विधायक निधि, 14 वां एवं 15 वां वित्त से कराये गये एवं किये जाने वाले कार्य जैसे राष्ट्रीय अजिविका मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, जीपीडीपी वर्ष 2021–22 में प्रस्तावित कार्य नलजल योजना के माध्यम से नियमित पेयजल की उपलब्धता, सबकी योजना सबका विकास एवं कोविड–19 संक्रमण एवं नियत्रंण के संबंध में विस्तृत जानकारी ग्राम सभा में उपस्थित ग्रामीणों को दी गयी जिसका ग्राम सभा द्वारा अनुमोदन किया गया।
3. ग्राम सभा में प्रमुख सचिव महोदय जी द्वारा विभिन्न योजनाओं में ग्रामीणों एवं लाभांवित हितग्राहियों से कराये गये कार्यो एवं दी गई सहायता के संबंध में, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास, कपिल धारा विभिन्न पेंशन योजनाओं के हितग्राहीयों से एवं निर्माण कार्यो के संबंध में चर्चा कर ग्रामीणों से संवाद कर पुष्टि हेतु चर्चा की गई।

4. राष्ट्रीय अजिविका मिशन अंतर्गत समूह की दीदीयों द्वारा निर्मित मास्क, सेनिटाईजर, फिनाईल, पी.पी.ई.किट एवं अन्य सामग्री का अवलोकन करते हुए, निर्मित उत्पादों की प्रसंशा की गई। समस्त उपस्थित अधिकारी/कर्मचारी एवं ग्रामीणजनों को मॉस्क क्रय करने हेतु निर्देश भी दिये।

5. प्रमुख सचिव महोदय द्वारा ग्रामीणों से संवाद के उपरांत निम्नानुसार निर्देश दिये गयेः–

1. स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत श्रीमती भागवती बाई कन्हैया ग्राम सुरपाला के यहां शौचालय निर्माण 04 दिवस में पूर्ण करने हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को निर्देश दिये गये।
2. शुद्ध पेयजल उपलब्धता हेतु ग्राम पंचायतों द्वारा 14 वां एवं 15 वां वित्त अंतर्गत पेयजल पाईपलाइन एवं मोटर पंप से संबंधित कार्य कराते हुए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की ''जल जीवन मिशन योजना'' में सम्मिलित कराया जावे, जिसमें

14 वां एवं 15 वां वित्त में अन्य विकास कार्य किये जा सके।

3. राष्ट्रीय ग्रामीण आजिविका मिशन अंतर्गत गठित ग्राम संगठन उनकी कार्यवाही संपादित करने हेतु सचिव ग्राम पंचायत को ग्राम सामुदायिक अथवा शाला भवन उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिये गये।
4. ग्रामीणों द्वारा शाला पहुंच मांर्ग बनाये जाने के संदर्भ में उक्त कार्य का तकनीकि परीक्षण कराया जाकर कार्य कराये जाने हेतु कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, संभाग खरगोन को निर्देश दिये गये।
5. ग्रामीणों द्वारा रिटर्निवॉल बनाये जाने की मांग पर कार्य का तकनीकि परीक्षण कराया जाकर, कार्य को 15 वां वित्त एवं मनरेगा से कन्वरजेंन्स कर लागत पर 01 से अधिक भाग में लिया जाकर कार्ययोजना में सम्मिलित कर कार्यो को कराये जाने हेतु सहायक यंत्री जनपद पंचायत को निर्देश दिये गये।

ग्राम सभा बैठक पश्चात् प्रमुख सचिव महोदय द्वारा ग्राम पंचायत के विकास कार्य स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत निर्मित ''सामुदायिक स्वच्छता परिसर'' तथा मनरेगा अंतर्गत मियावती पद्धति से किये गये ''वृक्षारोपण'' कार्यो का अवलोकन किया गया तथा **''सामुदायिक स्वच्छता परिसर निर्माण ग्राम पंचायत सुरपाला''** की प्रशंसा करते हुए इस प्रकार के परिसर निर्माण पूरे प्रदेश में किये जाने की बात कही गयी।

माननीय श्री सचिन सिन्हा प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मध्यप्रदेश शासन भोपाल, माननीय अनुग्रहा पी.कलेक्टर महोदया एवं माननीय श्री गौरव बेनल मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत खरगोन, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, गोगावां श्री राजेश बाहेती द्वारा वृक्षारोपण करते हुए।

महानगरों की तर्ज पर चमक रहे सामुदायिक स्वच्छता परिसर

मुख्यकार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत गोगावां एवं मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत खरगोन द्वारा ''सामुदायिक स्वच्छता परिसर निर्माण ग्राम पंचायत सुरपाला'' का अवलोकन करते हुए परिसर का भवन महिला व पुरूष दो अलग–अलग हिस्सों में तैयार किया गया है। इसमें यूरीनल के अलावा हैण्डवॉश व अन्य प्रसाधन संबंधी सुविधा उपलब्ध है। सामुदायिक स्वच्छता परिसर के निर्माण में कुल लागत रू. 3.00 लाख (दो लाख दस हजार रू. स्वच्छ भारत मिशन एवं नब्बे हजार रू. 14वां वित्त आयोग से) है। जिले में ऐंसे गांव का चयन किया गया है, जहॉ स्वच्छता की ज्यादा जरूरत है। स्वच्छता प्रभारी के मुताबिक पर्याप्त पानी की व्यवस्था वाले गांवों में ही सामुदायिक स्वच्छता परिसर बनाए गये हैं। इसके निर्माण से प्रदेश मे जिले की रैकिंग नम्बर 1 पर है। जनपदवार स्वच्छता परिसर इस प्रकार है, जनपद पंचायत – बड़वाह 47, भगवानपुरा 17, भीकनगांव 29, गोगावां 16, सेगावां 13, कसरावद 24, खरगोन 20, महेश्वर 20 जिला खरगोन में बहुत ही सुन्दर, गुणवत्तापूर्ण एवं सराहनीय कार्य किये गये है।

सज्जन सिंह चौहान,
संकाय सदस्य

काव्य रचनाएं

''नववर्ष''

नववर्ष का उत्साह और
नववर्ष का आगाज

इस नये साल के पीछे है
कई पुराने सालों के राज

कहीं मुरली की मीठी धुन
तो कही मखमली आवाज

कहीं उजली सिन्दुरी किरणें
तो कही पुरानी यादों की
दराज

कहीं भविष्य के सपने तो
कही अतीत की कोई
आवाज

कहीं दूर से आती कोई
रोशनी तो कही किसी
उपलब्धि पर नाज

कहीं रेत सा फिसलता
समय तो कही धुँधला सा
परवाज

कहीं वक्त को पकडने की
कोशिश तो कही पुराने
अनछुए राज

आइये नववर्ष की भोर को
दें आवाज

चहूँ ओर खुशी, आनन्द,
प्रसन्नता हो, पहन
उपलब्धियो के

''पर्यावरण संरक्षण''

सूखते सरोवर, रीती नदियाँ
और उजड़े उपवन

आँखो में सूखापन, दिल में
उदासी और हताश मन

रिश्तों मे खालीपन, हृदय
मे नफरत और व्याकुल मन

नयनो मे हिकारत, कांक्रीट
की सड़कें और वीरान वन

कातर प्राणी, सपाट सड़कें
और अजीब सा सूनापन

खाली पनघट, रीती
पनिहारिन और मुरझा जन

पर्यावरण की उपेक्षा से
सूखे–रुखे तन मन

अस्तित्व के संकट से
जूझती मानवता और समूचा
जन मन

क्या नहीं है कोई उपाय
और ऐसे ही रहेंगे नीरव
उनवन

नही और नही, आज ही
उठें करें वसुन्धरा का
आचमन

पेड़ पौधे वनस्पति की रक्षा
में लगाएँ प्राण प्रण

पानी, हवा, जंगल को
बचाएँ और करें

पर्यावरण संरक्षण, वंसुधरा
रक्षण का हवन

'' दिव्यांग''

बुलन्द हौसले ,मजबूत
इरादे, संकल्पशक्ति का
नाम है दिव्यांग

आलौकिक इच्छाशक्ति,
प्रचंड उत्साह, आत्मबल का
नाम दिव्यांग

हुनर सफलता, जीवटता,
साहस और प्ररेकपुंज का
नाम दिव्यांग

दिव्य शक्ति, दिव्य भविष्य
और दिव्य स्वप्नों का नाम
दिव्यांग

हर कठिनाई से जीतते,
मुश्किलों को चीरते सेनानी
का नाम दिव्यांग

अँधेरों मे प्रकाश, निराशा
मे आशा का नाम दिव्यांग

दुनिया बदलने, आगे बढने,
साहसी पुरुषार्थी का नाम
दिव्यांग

आज के इस बदलते,
विकसित दौर की एक ही
माँग

बढ़ते रहे ,चलते
रहे.मस्कराते रहे दिव्यांग

प्रतीक सोनवलकर, संयुक्त आयुक्त